ग्रीन हाईड्रोजन नीति — **यह नीति रोजगार के मौके पैदा करेगी**

पेडा ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति पर लोगों से सुझाव मांगे

जगमार्ग न्यूज

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अंतर्गत पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) की तरफ से ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको 'पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023' के तौर पर जाना जायेगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बारे सम्बन्धित भाईवालों और आम लोगों से सुझाव/ टिप्पिणयां माँगीं हैं। यह सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पिणियाँ और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वैबसाईट www.peda.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है और इस सम्बन्धी टिप्पिणयां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल kulbirsingh@peda.gov.in और rohit.kumar~yz@punjab.gov.in पर 5 नवंबर, 2023 तक भेजे जा सकते हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके इलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफारमिंग, वेस्ट वाटर की इलैक्ट्रोलाईसिस, हाईड्रोजन फ्यूल बलैंडिंग आदि विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति हाईड्रोजन गैस सैक्टर में स्किल डिवैल्पमैंट को उत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आयेगी। इसके इलावा इससे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जायेगा। पेडा के सी. ई. ओ. डा अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ़-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथेटिक ईंधन तैयार किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब के पास कृषि बायोमास अवशेष का प्रयोग करने की बड़ी क्षमता है जिससे ग्रीन हाईड्रोजन पैदा होगी और देश में इसकी बढ़ रही माँग को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन हाईड्रोजन मिशन, साल 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की नैट-ज़ीरो निकासी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अहम कदम होगा जिससे प्री-इंडस्टरियल स्तर को ध्यान में रखते हुये तापमान के वृद्धि को 1.5 डिग्री सैल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

➪ नीति का मकसद पंजाब को साल 2030 तक 100 किलो टन सालाना उत्पादन सामर्थ्य के साथ ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनाना है: अमन अरोड़ा

पेडा ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति पर लोगों से सुझाव मांगे

- **नीति का मकसद पंजाब को साल 2030 तक 100 किलो टन सालाना उत्पादन सामर्थ्य के साथ ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनाना है : अमन अरोड़ा**

सवेरा न्यूज/धालीवाल

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अंतर्गत पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजैंसी (पेडा) की तरफ से ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको 'पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023' के तौर पर जाना जाएगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बारे संबंधित भाईवालों और आम लोगों से सुझाव/टिप्पिणयां मांगी हैं।

पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पणियां और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस संबंधी टिप्पिणयां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल पर 5 नवंबर तक भेजे जा सकते हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन/अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। पेडा के सी.ई.ओ. डा. अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है, जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथेटिक ईंधन तैयार किए जा सकते हैं।

अमन अरोड़ा

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023' ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਨਵੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਚ.ਨ.ਸ.): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ$ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ$ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ kulbirsingh@ peda. gov.in ਅਤੇ rohit.kumarIDE@punjab.gov.in 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ$ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਇਓਮਾਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ

ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿਗ
ਤਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, 593 ਐਸ ਐਸ.ਟੀ. ਨਗਰ
ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ, 577, ਐਸ ਐਸ.ਟੀ.
ਤਾ। ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ : ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

aramjit Singh & on behalf of
s Pvt. Ltd., Patiala & Printed
Nagar Patiala. Published at
T Nagar Patiala. Chief Editor

'पेडा' ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति पर लोगों से सुझाव मांगे

नीति का मकसद पंजाब को साल 2030 तक 100 किलो टन सालाना उत्पादन सामर्थ्य के साथ ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनाना : अमन अरोड़ा

यह नीति हाईड्रोजन गैस सैक्टर में हुनर विकास को उत्साहित करने के साथ-साथ रोज़गार के मौके करेगी पैदा

उत्तम हिन्दू न्यूज नेटवर्क

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अंतर्गत पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) की तरफ से ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको 'पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023' के तौर पर जाना जायेगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बारे सम्बन्धित भाईवालों और आम लोगों से सुझाव/ टिप्पणियां माँगीं हैं।

यह सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पणियाँ और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वैबसाईट www.peda.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है और इस सम्बन्धी टिप्पणियां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल kulbirsingh@peda.gov.in और rohit.kumarIDE@punjab.gov.in पर 5 नवंबर, 2023 तक भेजे जा सकते हैं। अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके इलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफारमिंग, वेस्ट वाटर की इलैकट्रोलाईसिस, हाईड्रोजन फ्यूल बलैंडिंग आदि विकसित करना है। उन्होंने कहा कि यह नीति हाईड्रोजन गैस सैक्टर में स्किल डिवैल्पमैंट को उत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आयेगी। इसके इलावा इससे नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जायेगा।

पेडा के सी. ई. ओ. डा अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ़-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथेटिक ईंधन तैयार किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब के पास कृषि बायोमास अवशेष का प्रयोग करने की बड़ी क्षमता है जिससे ग्रीन हाईड्रोजन पैदा होगी और देश में इसकी बढ़ रही माँग को पूरा किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रीन हाईड्रोजन मिशन, साल 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की नैट-ज़ीरो निकासी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अहम कदम होगा जिससे प्री-इंडस्टरियल स्तर को ध्यान में रखते हुये तापमान के वृद्धि को 1.5 डिग्री सैल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पेडा ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति पर लोगों से सुझाव मांगे

■ इस नीति का मकसद पंजाब को साल 2030 तक ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनाना है: अरोड़ा

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर (शर्मा): पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजैंसी (पेडा) ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको 'पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति-2023' के तौर पर जाना जाएगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है, जिसके बारे में आम लोगों से सुझाव व टिप्पणियां मांगी गई हैं।

पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पणियां और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वैबसाइट www.peda.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है और इस संबंधी टिप्पिणयां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल ulbirsingh@peda.gov.in और rohit.kumar945@punjab.gov.in पर 5 नवम्बर-2023 तक भेजे जा

सकते हैं। अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन/ अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके अलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफार्मिंग, वेस्ट वाटर की इलैक्ट्रोलाइसिस, हाईड्रोजन फ्यूल बलैंडिंग आदि विकसित करना है।

उन्होंने कहा कि यह नीति हाईड्रोजन गैस सैक्टर में स्किल डिवैल्पमैंट को उत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आएगी। इसके अलावा इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जाएगा।

ग्रीन हाईड्रोजन से सिंथैटिक ईंधन तैयार की जा सकती है

पेडा के सी.ई.ओ. डा. अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है, जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथैटिक ईंधन तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब के पास कृषि बायोमास अवशेष का प्रयोग करने की बड़ी क्षमता है, जिससे ग्रीन हाईड्रोजन पैदा होगी और देश में इसकी बढ़ रही मांग को पूरा किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रीन हाईड्रोजन मिशन, साल 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की नैट-जीरो निकासी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अहम कदम होगा, जिससे प्री-इंडस्ट्रीयल स्तर को ध्यान में रखते हुए तापमान के वृद्धि को 1.5 डिग्री सैल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

ਪੇਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए पॉलिसी तैयार

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी बनाने और ईको सिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति का मसौदा तैयार किया है।

इसे पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023 के तौर पर जाना जाएगा। इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है।

इसके अलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफारमिंग, वेस्ट वाटर की इलेक्ट्रोलाईसिस, हाईड्रोजन फ्यूल ब्लैंडिंग आदि विकसित करना है। राज्य के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया लोग पॉलिसी संबंधी अपने सुझाव kulbirsingh@peda.gov.in या rohit.kumar945@punjab.gov.in पर 5 नवंबर तक दे पाएंगे।

नीति का मसौदा पेडा की वेबसाइट www.peda.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। पॉलिसी के मुताबिक यह नीति हाइड्रोजन गैस सेक्टर में स्किल डेवपलमेंट को उत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आएगी।

इसके अलावा इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जाएगा।

पेडा ने ग्रीन हाईड्रोजन पर सुझाव मांगे

साल 2030 तक 100 किलो टन सालाना उत्पादन सामर्थ्य के साथ ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनना लक्ष्य

चंडीगढ़। प्रदेश को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) की तरफ से ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023 के तौर पर जाना जाएगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बारे संबंधित भाईवालों और आम लोगों से सुझाव/ टिप्पिणयां मांगीं हैं। पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पणियां और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस संबंधी टिप्पिणयां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल पर 5 नवंबर 2023 तक भेजे जा सकते हैं। अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके इलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफारमिंग, हाईड्रोजन फ्यूल बलैंडिंग आदि विकसित करना है।

युवाओं के लिए बनेंगे रोजगार के अवसर

अरोड़ा ने कहा कि यह नीति हाईड्रोजन गैस सेक्टर में स्किल डिवेलपमेंट को उत्साहित करने के साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आएगी। इसके इलावा इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जाएगा। पेडा के सीईओ डा अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथेटिक ईंधन तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब के पास कृषि बायोमास अवशेष का प्रयोग करने की बड़ी क्षमता है जिससे ग्रीन हाईड्रोजन पैदा होगी और देश में इसकी बढ़ रही मांग को पूरा किया जा सकेगा।उन्होंने बताया कि ग्रीन हाईड्रोजन मिशन, साल 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की नैट-जीरो निकासी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अहम कदम होगा ।

PROMOTING GREEN HYDROGEN ECOSYSTEM

CHANDIGARH In a bid to promote of Green Hydrogen ecosystem for making Punjab a leading state in production of Green Hydrogen as desired by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, the Punjab Energy Development Agency (PEDA) has invited suggestions/comments of stakeholders and general public on the draft Green Hydrogen Policy, called the 'Punjab Green Hydrogen Policy 2023'. Disclosing this here today, Punjab New and Renewable Sources Minister Aman Arora said the draft Green Hydrogen Policy has been uploaded on PEDA website www.peda.gov.in for seeking comments/suggestions from the general public and these can be sent by post or at email kulbirsingh@peda.gov.in and rohit.kumar945@punjab.gov.in by 5th November, 2023. Aman Arora said that the Policy aims to make Punjab a Green Hydrogen/Ammonia producer with a production capacity of 100 Kilo tonnes per annum by the year 2030, besides, developing innovative manufacturing capacities of producing Hydrogen such as biomass gasification, steam methane reforming, electrolysis of waste water, Hydrogen fuel blending, etc. / DW BUREAU /

ਪੇਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ

ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣੈ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੱਤੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵਲੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ 2023' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ/ਟਿਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ

ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ kulbirsingh@peda.gov.in ਅਤੇ rohit.kumarIDE@punjab.gov.in 'ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 ਕਿੱਲੋ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ/ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਗੈਸੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੀਮ ਮੀਥੇਨ ਰਿਫਾਰਮਿੰਗ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਸਿਸ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਡਾ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਫੀਡਸਟਾਕ (ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਈਂਧਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
RozanaSpokesman.com

पेडा ने ग्रीन हाईड्रोजन नीति पर लोगों से मांगे सुझाव

नीति का मकसद पंजाब को साल 2030 तक 100 किलो टन सालाना उत्पादन सामर्थ्य के साथ ग्रीन हाईड्रोजन में अग्रणी बनानाः अमन अरोड़ा

अर्थ प्रकाश संवाददाता

चंडीगढ़, 17 अक्तूबर। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच के अंतर्गत पंजाब को ग्रीन हाईड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने और ग्रीन हाईड्रोजन ईकोसिस्टम को उत्साहित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) की तरफ से ग्रीन हाईड्रोजन नीति, जिसको 'पंजाब ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2023' के तौर पर जाना जायेगा, का मसौदा सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बारे सम्बन्धित भाईवालों और आम लोगों से सुझाव/ टिप्पिणयां माँगीं हैं।

यह सम्बन्धी जानकारी देते हुये

पंजाब के नवीन और नवीकरणीय स्रोत मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि आम लोगों से टिप्पणियाँ और सुझाव लेने के लिए ग्रीन हाईड्रोजन नीति का मसौदा पेडा की वैबसाईट www.peda.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है और इस सम्बन्धी टिप्पिणयां/ सुझाव डाक के द्वारा या ईमेल kulbirsingh@peda.gov.in अ ौ र rohit.kumarIDE@punjab.gov.in पर 5 नवंबर, 2023 तक भेजे जा सकते हैं।

श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस नीति का मकसद साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन सामर्थ्य के साथ पंजाब को ग्रीन हाइड्रोजन/ अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके इलावा हाईड्रोजन पैदा करने के नवीनतम उत्पादन सामर्थ्य जैसे बायोमास गैसीफीकेशन, स्टीम मीथेन रिफारमिंग, वेस्ट वाटर की इलैकट्रोलाईसिस, हाईड्रोजन फ्यूल बलैंडिंग आदि विकसित करना है।

उन्होंने कहा कि यह नीति हाईड्रोजन गैस सैक्टर में स्किल डिवैल्पमैंट को उत्साहित करने के साथ-साथ राज्य में करोड़ों रुपए का निवेश लेकर आयेगी। इसके इलावा इससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और उद्योगों की तरफ से नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को यकीनी बनाया जायेगा।

पेडा के सी. ई. ओ. डा अमरपाल सिंह ने कहा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग करके पैदा की गई ग्रीन हाईड्रोजन एक साफ़-सुथरी ऊर्जा होने के साथ-साथ उद्योग के लिए फीडस्टाक (कच्चा माल) भी है जिसके प्रयोग से अलग-अलग तरह के सिंथेटिक ईंधन तैयार किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब के पास कृषि बायोमास अवशेष का प्रयोग करने की बड़ी क्षमता है जिससे ग्रीन हाईड्रोजन पैदा होगी और देश में इसकी बढ़ रही माँग को पूरा किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि ग्रीन हाईड्रोजन मिशन, साल 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड की नैट-ज़ीरो निकासी के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अहम कदम होगा जिससे प्री-इंडस्टरियल स्तर को ध्यान में रखते हुये तापमान के वृद्धि को 1.5 डिग्री सैल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।